महत्वपूर्ण / कोविड–19
संख्या–1154 / पॉच–5 / 2020

प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मण्डल रेल प्रबन्धक,
लखनऊ मण्डल(नार्दर्न रेलवे),
लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊ : दिनांक 24 मई, 2020**

विषयः– कोविड–19 महामारी के दौरान रेल यात्रियों के स्वास्थ्य प्रोटोकाल के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–Sr.DCM/Misc/2020, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दिनांक 01.06.2020 से यात्री ट्रेनों के संचालन के परिप्रेक्ष्य में यात्रियों के स्वास्थ्य प्रोटोकाल के संबंध में दिशा–निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1090 / पांच–5–2020, दिनांक 13.05.2020 (प्रति संलग्न) द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अन्य राज्यों से ट्रेन से आने वाले यात्रियों द्वारा कोविड–19 हेतु क्वारेन्टाइन सहित अनिवार्य प्रोटोकाल का अनुपालन किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत करते हुए इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समस्त जिलाधिकारी एवं समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है।

संलग्न–

1. शासनादेश दिनांक 01.05.2020।
2. शासनादेश दिनांक 13.05.2020।

भवदीय,

(वी0 हेकाली झिमोमी)
सचिव।

sunil sir go com-3

संख्या–1090/पॉच–5/2020

प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उ0 प्र0 शासन

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी,** उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,** उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊ : दिनांक13 मई, 2020**

विषयः–प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अन्य राज्यों से ट्रेन से आने वाले यात्रियों द्वारा कोविड–19 हेतु क्वारेन्टाइन सहित अनिवार्य प्रोटोकॉल का अनुपालन किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर चिकित्सा अनुभाग–5 के पत्र संख्या–1031/पॉच–5–2020 दिनॉक 01.05.2020, संख्या–1081/पॉच–5–2020 दिनॉक 12.05.2020 एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या–40–3/2020–डीएम–आई(ए) दिनॉक 11.05.2020 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कोविड–19 के दृष्टिगत प्रवासी कामगारों के प्रदेश में लौटने पर क्वारेन्टाइन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश/प्रोटोकॉल निर्गत किए गए थे।

2– प्रदेश में अन्य राज्यों से राजधानी जैसी ट्रेनों द्वारा यात्री आ रहे हैं। इन यात्रियों की भली–भॉति परीक्षण किए जाने की आवश्यकता है, जिससे इन यात्रियों के अपने मूल जनपद/ग्राम में पहुॅचने पर सम्बन्धित ग्राम/मोहल्ला/जनपद में कोविड–19 के संक्रमण का फैलाव न हो।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अन्य राज्यों से ट्रेन द्वारा प्रदेश में आने वाले यात्रियों के संबंध में निम्नलिखित दिशा–निर्देशों पर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें:–

1. यात्रियों के आगमन के पश्चात् उनकी स्क्रीनिंग करायी जाएगी। बिना लक्षण वाले व्यक्तियों को 14 दिन के होम क्वारेन्टाइन में भेजा जाएगा।

2. स्क्रीनिंग में किसी भी प्रकार के लक्षण पाए जाने पर इन्हें फैसेलिटी क्वारेन्टाइन में रखा जाएगा तथा जॉच करवाने के पश्चात् यदि वह संक्रमित पाया जाता है तो उसे बीमारी की गम्भीरता के आधार पर कोविड समर्पित एल–1, एल–2 अथवा एल–3 चिकित्सालय में भर्ती कराया जाएगा।

3. जांच कराने के पश्चात यदि कोई यात्री संक्रमित नहीं पाया जाता है तो उसको सशुल्क क्वारेन्टाइन अथवा फैसेलिटी क्वारेन्टाइन में रखा जाएगा।

4. यात्रियों से 'आरोग्य सेतु' ऐप मोबाइल पर डाउनलोड करवाया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन पूर्वान्ह 11:00 बजे अपनी सूचना अपडेट करनी होगी।

5. प्रत्येक स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग के साथ–साथ नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर सहित लाइन–लिस्टिंग तैयार की जाएगी।

6. होम क्वारेन्टाइन की अवधि में यात्री एवं उनके परिजनों हेतु चिकित्सा अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या–1031/पॉच–5–2020 दिनॉक 01.05.2020 के द्वारा निर्गत निर्देशों/प्रोटोकॉल का अनुपालन करेंगे।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,

(वी0 हेकाली झिमोमी)
सचिव।

संख्या–1090(1)/पांच–5–2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, संचारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश।
4. मण्डल रेल प्रबन्धक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
5. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

D.P GO/COME-5

संख्या: 681 /2020-सी०एक्स०-3

No.40-3/2020-DM-I (A)
Government of India
Ministry of Home Affairs

North Block, New Delhi-110001
Dated 11th May, 2020

ORDER

In continuation of Ministry of Home Affairs's Orders of even number dated 1st May 2020 and 5th May 2020 and in exercise of the powers, conferred under Section 10(2)(l) of the Disaster Management Act, the undersigned, in his capacity as Chairperson, National Executive Committee, hereby issues Standard Operating Protocol (SOP), **for movement of persons by train**, as **Annexed** herewith, to Ministries /Departments of Government of India, State/Union Territory Governments and State /Union Territory Authorities, with the directions for their strict implementation.

11/05/2020
Home Secretary

To: **(As per list attached)**

1. The Secretaries of Ministries /Departments of Government of India
2. The Chief Secretaries/Administrators of States/Union Territories

Copy to:

i) All members of the National Executive Committee.
ii) Member Secretary, National Disaster Management Authority.

12.5.20
(अमिताभ त्रिपाठी)
विशेष सचिव
गृह विभाग
उ० प्र० शासन

Annexure

Standard Operating Protocol (SOP), for movement of persons by train

In order to facilitate movement of persons by trains, the following SOP is hereby laid down:

i. Movement of trains shall be permitted by Ministry of Railways (MoR), in a graded manner, in consultation with Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW) and Ministry of Home Affairs (MHA).

ii. Train schedule; protocols for booking, entry and movement of passengers; and coach service specifications shall be widely publicized by MoR.

iii. Only those passengers with confirmed e-tickets shall be allowed to enter the station.

iv. The movement of the passenger(s) as well as the driver of the vehicle transporting the passenger(s) to and fro the railway station shall be allowed on the basis of the confirmed e-ticket.

v. MoR shall ensure the following at the train stations:

   a. All passengers shall be compulsorily screened and only asymptomatic passengers are allowed to enter/ board the train.

   b. All passengers shall be provided with hand sanitizer at entry and exit points at station and in coaches.

   c. All passengers shall be wearing face covers/ masks at entry and during travel.

vi. During boarding and travel, all passengers will have to observe social distancing.

vii. Health advisories/ guidelines will be circulated by MoR through Information, Education and Communication (IEC) campaign for their staff and passengers.

viii. On arrival at their destination, the traveling passengers will have to adhere to such health protocols as are prescribed by the destination State/ UT.

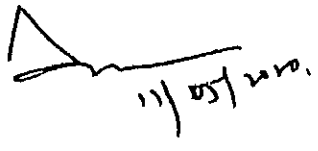

Tel: +9180-2287 4039
+9180-2235 4085
Fax : +9180-2228 5591
e-mail : com-hfws@karnataka.gov.in

COMMISSIONERATE
Health & Family Welfare Services

No: COM/HFW/PS/2020-21 Date: 11.05.2020

"Addendum -2"

Sub: SOP for entry of persons from other States to Karnataka

Ref: 1. SOP Version 2 issued on 07.05.2020
2. Addendum no. COM/HFW/PS/2020-21 issued on 08.05.2020

***

Para 5.5 of the SOP Version 2 stands modified as follow.

"5.5 The Category-II returnees should be quarantined as follows:

I. All persons travelling to Karnataka from any other state and found asymptomatic on arrival shall be quarantined compulsorily in institutions (schools / hostels / hotels (paid basis) / Kalyan Mantapas, etc for a period of 14 days in urban as well as in rural areas.

II. For persons claiming to come from Goa, Deputy Commissioner of receiving district should verify and in the event of adequate capacity not being available, can put them in home quarantine for a period of 14 days, if the claim regarding the origin state is confirmed."

III. Deputy Commissioner / Special Commissioner, BBMP will fix the rates for hotels where such returnees will be staying on payment basis.

Commissioner
Health and Family Welfare Services

Government of Jammu and Kashmir
Department of Disaster Management, Relief Rehabilitation & Reconstruction
(State Executive Committee)
Civil Secretariat, Jammu
****

Subject: - Instructions for 100% RTPCR testing of incoming passengers by trains and other means-regarding.

Government Order No: 51-JK(DMRRR) of 2020
D a t e d : 11.05.2020

1) Whereas, the Government of India vide its Order No. 40-3/2020-DM-I(A) dated 11.05.2020 has notified standard operating protocol for movement of passengers by scheduled train services, which are due to commence from 12.05.2020; and

2) Whereas, Ministry of Railways is also operating special Shramik Trains for bringing back students, stranded persons and others, the first of which is due to arrive on 12.05.2020; and

3) Whereas, consequent upon Government of India's decision to allow movement of trains in a graded manner, it is felt necessary to issue mandatory instructions for 100% RTPCR testing of incoming passengers by trains and other means in order to prevent spread of COVID-19.

4) Now therefore, in exercise of powers conferred upon the undersigned, in his capacity as the Chairperson of State Executive Committee, under Section 24 of the Disaster Management Act, 2005, the following instructions are notified for mandatory compliance by all concerned:-

   i. All passengers arriving by trains or any other means into the UT of Jammu and Kashmir shall be 100% tested using the RTPCR method for which the Health and Medical Education Department is making necessary arrangements;
   ii. All such passengers will be put into mandatory administrative quarantine by the Nodal Officers/concerned Deputy Commissioners/Divisional Commissioners till test results come out to be negative or till they are sent to hospital if test results are positive;

संख्या–1031 /पॉच–5–2020

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5

लखनऊः दिनांक 01 मई, 2020

विषयः **कोविड–19 के दृष्टिगत प्रवासी कामगारों के प्रदेश में लौटने पर क्वारेन्टाईन करने के सम्बन्ध में निर्देश/प्रोटोकाल।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों के लौटने का अनुमान लगाया जा रहा है। इनके द्वारा राज्य में संक्रमण न फैले इस दृष्टिकोण से निम्नलिखित प्रोटोकॉल निर्धारित किया जा रहा हैः–

प्रवासी कामगारों के वापसी पर प्रबन्धन प्रोटोकॉल

1. प्रवासियों के आगमन के पश्चात जिला प्रशासन के द्वारा उनकी स्क्रीनिंग करायी जाएगी। स्क्रीनिंग में किसी भी प्रकार के लक्षण पाये जाने पर इन्हें फैसेल्टी क्वारन्टाइन में रखा जायेगा तथा जांच करवाने के पश्चात यदि वह संक्रमित पाया जाता है तो उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जायेगा। जो लक्षण वाले व्यक्ति संक्रमित नही पाये जाते हैं, उन्हें 7 दिनों तक फैसेल्टी क्वारन्टाइन में रखकर पुनः परीक्षण करवाया जायेगा। यदि सात दिनों के बाद भी वह संक्रमित नही पाया जाता है तो उन्हें अगले 14 दिनों के लिए होम क्वारन्टाइन में भेज दिया जायेगा। बिना लक्षण वाले व्यक्तियों को 21 दिन के होम क्वारन्टाइन में भेजा जायेगा।

2. जनपद में पहुॅचने के पश्चात, जिला प्रशासन के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक प्रवासी की स्क्रीनिंग के साथ–साथ पता एवं मोबाइल नम्बर सहित लाइन–लिस्टिंग तैयार किया जाए।

3. जनपद में पहुॅचने के पश्चात प्रवासी व्यक्तियो के जनपद में स्थापित आश्रय स्थल में आगमन पर आश्रय स्थल प्रभारी द्वारा इन व्यक्तियों के नाम, पता व मोबाइल नम्बर आदि सम्पूर्ण विवरण संलग्नक–क पर रखे प्रारूप के अनुसार अंकित करने हेतु

अनिवार्य रूप से एक रजिस्टर बनाया जाय। इस रजिस्टर में आश्रय स्थल में आने वाले एवं आश्रय स्थल से अपने गृह निवास को अवमुक्त किये जाने वाले प्रत्येक प्रवासी का सम्पूर्ण विवरण दर्ज किया जाय तथा खाद्य सामग्री किट देते हुए उन्हें अपने गंतव्य हेतु प्रस्थान करवाया जाय। इस रजिस्टर पर इन प्रवासियों के हस्ताक्षर भी प्राप्त करवायें जाये। बिना पूर्ण विवरण प्राप्त किये किसी भी व्यक्ति को आश्रय स्थल से न जाने दिया जाय।

4. जनपद के आश्रय स्थलों में पूर्व से रखे गये ऐसे सभी प्रवासी व्यक्तियों को भी सम्मलित किया जाय जो इसी प्रदेश के किसी दूसरे जनपद के स्थायी निवासी है और वह अपने गृह निवास स्थान/जनपद को जाना चाहते हैं। आश्रय स्थल प्रभारी द्वारा रजिस्टर में अंकित किये गये प्रवासियों के विवरण को प्रतिदिन कम्प्यूटर पर फीड कराया जाय और उसे राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट rahatup.in पर शतप्रतिशत फीड कराया जाय।

5. प्रदेश के बाहर से आने वाले ऐसे श्रमिकों/कामगारों, जिनके घरों में होम क्वारेन्टाईन की व्यवस्था नहीं है, को इस्टीटूयशनल क्वारेन्टाईन में ही रखा जाय।

6. आश्रय स्थल/ क्वारन्टाइन कैम्प में आने वाले व्यक्तियों का श्रम विभाग द्वारा उसी आश्रय स्थल/ क्वारन्टाइन कैम्प में पंजीकरण किया जायेगा। पंजीकरण के समय श्रमिकों के कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल होने का सम्पूर्ण विवरण भी श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर भरकर सुरक्षित रखा जायेगा। इस सम्बन्ध में श्रम विभाग द्वारा पृथक से दिशा–निर्देश एवं प्रारूप निर्गत किये जायेगे।

7. सामुदायिक सर्विलान्स तथा सहयोग के लिए जनपद प्रशासन के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम निगरानी समिति एवं शहरी क्षेत्रों में मोहल्ला निगरानी समिति का गठन किया जाए।

8. ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी समिति का नेतृत्व ग्राम–प्रधान के द्वारा किया जाएगा तथा इस समिति में आशा/आंगनबाड़ी/चौकीदार/युवक मंगल दल के प्रतिनिधि तथा अन्य सदस्य होंगे। इसी प्रकार से, शहरी क्षेत्र में संबंधित सभासद के नेतृत्व में मोहल्ला निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। मोहल्ला निगरानी समिति में आशा/सिविल डिफेन्स/आर0डब्लू0ए0 के प्रतिनिधि/नगर निकाय के क्षेत्रीय कार्मिक तथा अन्य सदस्य होंगे एवं नगर विकास विभाग के द्वारा प्रवासियों का सर्विलान्स एवं सहयोग किया जाएगा। समिति की संरचना जिलाधिकारी के द्वारा तय की जाएगी।

9. जिला प्रशासन के द्वारा प्रवासियों की सूची को ग्राम सभावार/वार्डवार स्वास्थ्य विभाग/पंचायती राज/नगर विकास विभाग को इस निर्देश के साथ दी जायेगी कि उक्त सूची को ग्राम निगरानी समिति/मोहल्ला निगरानी समिति से साझा किया जाए।

–3–

10. आशा कार्यकत्री द्वारा प्रवासियों की सूचना संलग्नक–1 में दिये गये प्रारुप पर भरी जायेगी (शासनादेश सं0 741/पांच–5–2020, दिनांक 30.03.2020 प्रवासियों की लाईन–लिस्टिंग का प्रारुप)। यह सूची ब्लाक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर (BCPM) को प्रतिदिन नियमित रुप से उपलब्ध कराई जायेगी, जिनके द्वारा पोर्टल पर सूचना इन्ट्री की जायेगी।

11. प्रवासियों के द्वारा 21 दिनों की होम क्वारेन्टीन अवधि के दौरान निम्नलिखित सावधानियॉ अपनाया जाना अपेक्षित है–

a- क्वारेन्टाईन किया गया परिवार इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जहां तक सम्भव हो प्रवासी अपने घरों में पृथक कक्ष में रहेगा।

b- क्वारेन्टाईन किये गया प्रवासी अनिवार्य रुप से मास्क/गमछा/दुपटटा से मुंह एवं नाक को ढकेंगे।

c- हाथों को साबुन व पानी से धोने की आदत को बढ़ावा दिया जायेगा।

d- क्वारेन्टाईन किये गये प्रवासी के घर में किसी भी अन्य व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

e- क्वारेन्टाईन किये गये प्रवासी के घर के मात्र एक अन्य सदस्य को ही आवश्यक वस्तुओं की खरीद–फरोख्त के लिए घर से बाहर जाने की अनुमति होगी। इस व्यक्ति के द्वारा घर से बाहर निकनले एवं वापस आने के समय हाथों को सैनीटाईज़/साबुन से हाथ धोया जाएगा तथा इस बीच मास्क/गमछा/दुपटटा का प्रयोग अनिवार्य रुप से किया जायेगा। निगरानी समिति के द्वारा इस कार्य हेतु लगभग 1 घण्टे की अवधि निश्चित की जायेगी तथा उपरोक्त नियमों के अनुपालन की निगरानी की जायेगी।

f- आशा के द्वारा इस परिवार में 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, गर्भवती महिलायें एवं मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोग जैसे रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को क्वारेन्टाईन किये गये व्यक्ति से पृथक रहने की सलाह दी जायेगी।

g- परिवार के किसी भी सदस्य अथवा क्वारेन्टाईन किये गये प्रवासी में कोविड–19 के लक्षण प्रारम्भ होते ही इसकी सूचना आशा कार्यकत्री को तत्काल दी जायेगी, जिससे आशा कार्यकत्री अग्रिम कार्यवाही कर सके।

12. आशा कार्यकत्री द्वारा घर के बाहर उचित स्थान पर एक क्वारेन्टाईन फ्लायर लगाया जायेगा, जिससे उस घर के क्वारेन्टाईन के अन्तर्गत होने का संकेत मिल सके (संलग्नक–ख)। उसके द्वारा परिवार के सदस्यों का भी उल्लेख किया जायेगा तथा क्वारेन्टाईन प्रारम्भ तथा समाप्त होने की तिथि न मिटने वाली स्याही इत्यादि से अंकित की जायेगी। परिवार के सदस्यों को निगरानी समिति के सदस्यों का दूरभाष संख्या उपलब्ध कराया जायेगा।

-4-

13. प्रवासी के पास स्मार्ट फोन होने पर उसे 'आरोग्य सेतु' एप डाउनलोड करवाया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन 11:00 बजे सुबह अपनी सूचना अपडेट करनी होगी।

14. आशा कार्यकत्री द्वारा ऐसे प्रत्येक क्वारेन्टाईन किये गये घरों में तीन दिन में एक बार अनिवार्य रुप से भ्रमण कर परिवारीजनों में खांसी, बुखार एवं सांस लेने में कठिनाई लक्षणों के प्रकट होने के सम्बन्ध में जानकारी ली जायेगी तथा क्वारेनटाईन के सम्बन्ध में पुनः संवेदीकरण किया जायेगा। भ्रमण के समय आशा कार्यकत्री के द्वारा सोशल डिस्टेन्सिंग तथा साफ–सफाई के प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जायेगाः–

- भ्रमण के समय मास्क/गमछा/दुपटटा आदि का प्रयोग तथा परिवार के सदस्यों से दो गज की दूरी बनाये रखना।
- भ्रमण से पूर्व एवं उपरान्त हाथों को साबुन से धोना एवं उपलब्धता के अनुसार अल्कोहलयुक्त सैनीटाईजर का प्रयोग करना।
- भ्रमण के समय दरवाजे/दरवाजों के हैंडिल अथवा बार–बार छूये जाने वाले अन्य सतहों को न छूना तथा परिवार के सदस्यों को दूरभाष अथवा आवाज़ देकर बुलाना।

15. यदि प्रवासी व्यक्ति अथवा उसके परिवार के सदस्य को बुखार अथवा खांसी के लक्षण प्रकट होते हैं तो आशा इसकी सूचना प्रभारी चिकित्साधिकारी को देंगी तथा पैरासीटामॉल की गोली देकर तीन दिनों के लिए व्यक्ति को घर पर ही क्वारेन्टाईन में रहने की सलाह देंगी। यदि लक्षण बढ़ते हैं तथा सांस लेने में तकलीफ होती है तो निगरानी समिति के सदस्य/आशा इसकी सूचना तत्काल प्रभारी चिकित्साधिकारी को देंगी तथा व्यक्ति को 108 एम्बुलेन्स से निकटस्थ क्वारेन्टीन फैसिलिटी में भेजने की व्यवस्था करेंगी। क्वारन्टाइन फैसिलिटी में इनका तत्काल परीक्षण कर यथा–आवश्यक एल–1/एल–2/एल–3 में भर्ती की कार्यवाही की जायेगी।

16. यदि परिवार द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो पड़ोसियों अथवा ग्राम प्रधान के द्वारा जिला प्रशासन को कार्यवाही हेतु सूचित किया जाएगा। एक बार से अधिक उल्लंघन करने वाले प्रवासी को फेसिलिटी क्वारेन्टाइन में भेज दिया जाएगा।

17. निगरानी समिति के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि परिवार को समस्त राजकीय सुविधाओं एवं राहत योजनाओं का लाभ मिलता रहे। यदि परिवार को सामाजिक विरोध अथवा कठिनाई का सामना करना पड़े तो वे निगरानी समिति को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित करेंगे।

18. 21 दिनों की क्वारेन्टाईन अवधि पूरी करने पर आशा कार्यकत्री वस्तुस्थिति की सूचना बी0सी0पी0एम0 को देंगी एवं घर पर लगे फ्लायर को हटायेंगें।

कृपया इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

01.05.2020

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

पृ0संख्या– /पॉच–5–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
7. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
10.. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।
11. निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य।
12. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

1.5.2020

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव

01/05/2020

संलग्नक - 'क'

आश्रय स्थल से छोड़े गये लोगों की सूची

जिला-

क्रम संख्या	आश्रय स्थल		आश्रय स्थल रहने वाले व्यक्ति का नाम	पिता/पति का नाम	उम्र(आयु)	लिंग	व्यक्ति का मूल / स्थाई पता					
	कैंप नाम	कैंप पता					राज्य/अन्य देश	जनपद	तहसील	क्षेत्र का प्रकार	ब्लाक/नगर क्षेत्र	वार्ड/गाँव/मोहल्ला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

मोबाइल नंबर	पहचान का प्रकार	पहचान पत्र सं.	आगमन तिथि	लॉकडाउन के दौरान यह व्यक्ति आश्रय स्थल में कहाँ से आ रहे हैं	कोरोना के लक्षण न पाए जाने पर इन्हें छोड़ दिया गया है (हाँ या नहीं)	यदि हाँ तो छोड़ने की तिथि	छोड़ने के पूर्व स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के अनुसार स्वास्थ्य परिक्षण किया गया है (हाँ या नहीं)	छोड़ते समय कोरोना वायरस के लक्षण (हाँ या नहीं)	राजस्व -11 के शासनादेश 258 दिनांक 13.4.2020 के क्रम में 15 दिन का राशन किट दिया गया है (हाँ या नहीं)
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

होम क्वारंटाइन

हमें गर्व है कि हम समाज को कोरोना मुक्त रखने में योगदान कर रहे हैं।

होम क्वारंटाइन रणनीति का इस्तेमाल कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किया जाता है। यदि बाहर से आए हुए किसी व्यक्ति को संक्रमण है तो क्वारंटाइन की मदद से वह व्यक्ति दूसरे को संक्रमण फैला नही पाएगा। अतः क्वारंटाइन से न तो डरें और न ही घबराएँ।

इस परिवार के सदस्य अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को समझकर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। इसलिए ये हमारे सम्मान और सहयोग के योग्य हैं।

इस घर के सदस्य होम क्वारंटाइन पर हैं

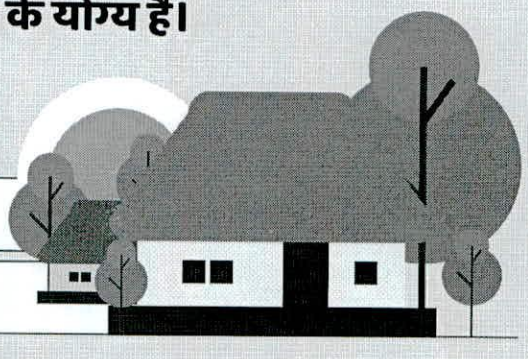

होम क्वारंटाइन शुरू होने की तिथि	
होम क्वारंटाइन समाप्त होने की तिथि	

ध्यान दें

क्वारंटाइन अवधि के दौरान इस घर के सभी सदस्य घर पर ही रहेंगे व बाहर बिल्कुल नहीं निकलेंगे।

सुबह/शाम बाहर जाने का समय

घर के ज़रूरी सामान लाने हेतु प्रत्येक दिन परिवार के एक सदस्य को सुबह/शाम के समय एक घंटे के लिए बाहर जाने की छूट दी जाएगी।

जो सदस्य बाहर जाएगा वह मुँह ढँकने हेतु पुनः इस्तेमाल होने वाले मास्क या कपड़े का इस्तेमाल करेगा और लोगों से बात करते समय 2 गज की दूरी बनाए रखेगा। बाहर जाने से पहले व घर लौटने पर वह अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धोएगा।

यदि परिवार का कोई सदस्य क्वारंटाइन के नियमों का पालन नहीं करता है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

क्वारंटाइन के दौरान यदि परिवार के किसी भी सदस्य को बुखार, खाँसी या साँस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत गाँव की आशा या जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी या टोल फ्री नंबर 1800-180-5145 पर संपर्क करें।

ग्राम प्रधान / आशा / पड़ोसी की ज़िम्मेदारी

यदि इस परिवार के सदस्य होम क्वारंटाइन के दौरान घर से बाहर जाते हैं या क्वारंटाइन के अन्य नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इसकी सूचना आप ग्राम प्रधान को दें ताकि परिवार को फ़ैसिलिटी क्वारंटाइन किया जा सके।

होम क्वारंटाइन के दौरान कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु निम्न बातों का ध्यान रखें;

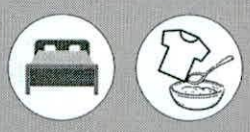

जहां तक संभव हो सके, लौटे हुए परिवार के सदस्य के लिए अलग कमरा, बिस्तर, कपड़ा, चादर व बर्तनों की व्यवस्था करें।

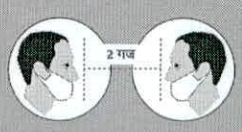

घर के सभी सदस्य मास्क लगाकर ही आपस में बातचीत करें व बातचीत करते समय एक दूसरे से कम से कम 2 गज की दूरी रखें।

घर के सभी सदस्य हाथों को बार-बार साबुन व साफ़ पानी से धुलें।

NATIONAL HEALTH MISSION

UP-TSU